संख्या- 60/2024/001-1210-24-1-2024-158/2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के नगर निगमीय क्षेत्र में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-527/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2024-25/453, दिनांक 30 जुलाई, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को नगर निगमीय क्षेत्र में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु अंशपूँजी के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 1205,17,05,000/- (रूपये एक हजार दो सौ पॉच करोड़ सत्रह लाख पॉच हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 600,00,00,000/- (रूपये छः सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेग।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्तीय वर्ष 2023-24 में आहरित धनराशि में से उपलब्ध कराई गई उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सापेक्ष शेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त अवमुक्त किए जाने पर विचार किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,00,00,000 (रुपये छह अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051901300 प्रदेश के नगर निगमीय क्षेत्र में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों हेतु मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-45-X-2024-25-दिनांक:14-8-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या- 60/2024/001-1210(1)-24-1-2024-158/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज को उनके पत्र सं0-एल0ए0-।।/लेखा संशोधन/2852, दिनांक 13.04.2023 के संदर्भ में ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।